

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

क्रमांक पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
20/21	53 RTA	राजपुरा	59 डी
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
	बनाम		
रामदयाल		हेमराज	

वकील :- 21 जे 21 लोपा **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/3/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 15/4/2021 को पेश हो।	
16/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के तलवो समन वाद तालीले अप्रपत्त। वास्तु डे वजारे समन पत्रावली दिनांक 31/5/21 को पेश हो।	प्रकारत ताली हेमराज कुशवर्ति एवं पत्रावली पेश
3/7/21	कोशिला सुब्बम आज की कोशिला अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/6/2021 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
3/6/21	कोशिला सुब्बम आज की कोशिला अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/7/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
14/7/21	कोशिला सुब्बम आज की कोशिला अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/8/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

26/8/21

पत्रिका पेश हुई। नमुनाएँ जारी के.स उपस्थित।
पक्षकारान की दी गयी एक प्रतिवादी नाम के.स उपस्थित
होकर -आमालय में राजीनामा पेश किया गया।
जो पठकर पक्षकारान को सुनाया गया। पक्षकारान
के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की। जारी गण की
प्रदान शोश लोका एडवो. एक प्रतिवादी अपने को
प्रदीन ओमप्रकाश सुगत एडवो. द्वारा के.स उपस्थित
पठे. सुगत समझ पक्षकारान के, परतकार कराने
गये करते आदेश राजीनामा पत्रिका दिनांक
13/9/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

13/9/21

पत्रिका पेश हुई। नमुनाएँ जारी के.स उपस्थित।
भुतगविक राजीनामा को दी आ स्वीकार किया जाना है
भुतगविक राजीनामा पक्षकारान के मध्य प्रथम-प्रथम
विभाजन भर विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को लिख
जाने। वास्ते विभाजन प्रस्ताव पत्रिका दिनांक 13/9/21
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट ADD न्यायलय इबड़ा

13/9/21

पत्रिका पेश हुई। नमूने डिडी वार उपस्थित।
तहसीलदार इबड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त।
नमूने डिडी वार द्वारा निर्धारित राशि का हस्त
पेश कर भौतिक डिडी जारी करने का निवेदन
दिया। पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।
भुतगविक तहसीलदार इबड़ा से प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव नमुनाएँ पक्षकारान के मध्य प्रथम-प्रथम
द्वारा भौतिक प्रस्ताव किया जाना है।

रजिस्ट्रार
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

क्र.सं.	नाम खते दाए	रक.न.	रक.वा
1	रामदयाल पुत्र माग्धा कौम लोपा सा.देह	468 पूर्व	3.10
		449 पूर्व	1.05
		404 दक्षिण	3.14
		85 पश्चिम	4.04
		289 उत्तर	0.02
		288 उत्तर	0.01
कुलकित 6 -			12.16 बीघा

2-	मेहरबान पुत्र माग्धा कौम लोपा सा.देह	107	6.02
		468 पश्चिम	2.11
		449 पश्चिम	0.10
		139 उत्तर	0.18
		153 पश्चिम	1.01
		120/1	0.10
289 दक्षिण	0.08		
कुल 7 रक.वा			12.00

3-	मुन्तीबाई पुत्री माग्धा नारणसिंह पुत्र गोखान कमलाबाई पति स्व.गोखान दि. का बौक लोपा सा.देह	404 उत्तर	6.00
		289 दक्षिण	0.02
		288 दक्षिण	0.01
		कुल 3 रक.वा	

4-	हेमराज पुत्र गोखान पति लोपा सा.देह	139 दक्षिण	0.18
		152	0.10
		153 पूर्व	0.12
		85 पूर्व	4.00
कुल 4 रक.वा.			6.00

उपर्युक्त अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

उत्तानुसार पक्षकारान के मध्य प्रथम-प्रथम
विचारान किया जाकर रामदास रिवाई में कमल वरामद,
करने हेतु तहसीलदार दूरप्र को निदेशित किया
जाता है यदि कि सो अपर कोर्ट का स्थान आदेश
न हो तो मुताबिक अंतिम डि की फलना सुनिश्चित

बरे। तदनुसार अंतिम डिक्ली पचा जारी हो
पत्रकली प्रेशाल सुभार होकर दारिजल दफ्तर
हो। ✓

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

अंतिम- डिक्री

क्र.सं. 20/021

घारा अंतर्गत 53 RTM

निर्णय दिनांक 14/5/22

कस :- द्वारा श्री सुरेश कुमार हरसोलिया RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा-बारां

अपस्थिति :- अभिभाषक वादी राजेश लोद्या एडवोकेट, अभिभाषक प्रतिवादी -

वाद शीर्षक

- 1- रामदयाल शं. मांग्या 2- मेहरबान शं. मांग्या
 3- भुन्नीवाई शं. मांग्या 4- तोरण सिंह शं. गोरखन
 5- कमलावाई W/O लं. गोरखन जाति शं. लोद्या निवासी गण राजपुरा तहसील जिला- बारां (वादी)

V/S

- 1- हेमराज पुत्र गोरखन जाति लोद्या निवासी राजपुरा तहसील
 2- राज. सरकार जय तहसील दार छबड़ा जिला- बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि :-

भुताधिक तहसील

दार छबड़ा से भारत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के कथ्य प्रमाण- हथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं. संख्या	नाम शक्तिदार	ख.नं.	खेवा
1	रामदयाल पुत्र मांग्या	468 पूर्व	3.10
	कैम लोद्या सा.देउ	449 पूर्व	1.05
		404 दक्षिण	3.14
		85 पश्चिम	4.04
		289 उत्तर	0.02
		288 उत्तर	0.01

कुल किला-6 खेवा 12.16 बीघा द्वारा को प्रदान किया जाए

साथ ही निम्नानुसार.....रु. का व्ययानुतोष.....को निर्गत किया गया।
 उक्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.....



(सुरेश कुमार हरसोलिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा जिला-बारां
 छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज (%)		
	योग		